



UPCH010031772025

**न्यायालय-अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01, चित्रकूट।**

पीठासीन अधिकारी- (Anurag Kureel), (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP 1521

**सेशन केस नम्बर-745 / 2025**

उ०प्र० राज्य .....अभियोजक।

**बनाम**पुष्पा देवी पत्नी छेदीलाल, निवासी तरौंहा रोड़ कर्वी, थाना कोतवाली कर्वी,  
जनपद चित्रकूट।

.....अभियुक्ता।

अन्तर्गत धारा-138(बी) भा०विद्युत अधि०

थाना-कर्वी कोतवाली नगर।

जनपद-चित्रकूट।

**अपराध संख्या-281 / 2015****30.03.2026**

पत्रावली प्रस्तुत की गयी। अभियुक्ता का चालान धारा 138(बी) विद्युत अधिनियम थाना कर्वी कोतवाली नगर जनपद चित्रकूट में किया गया है तथा इसी अपराध में उसके विरुद्ध आरोप-पत्र भी प्रेषित किया गया है।

दौरान विचारण प्रकरण को सुलह-समझौता हेतु मध्यस्थता केन्द्र, जनपद न्यायालय, चित्रकूट को प्रेषित किया गया, जहाँ पर पक्षकार मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये तथा पक्षकारों की पहचान व पुष्टि उनके विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गयी। प्रकरण में पक्षकार विद्युत विभाग की ओर से समझौता पत्र इस बावत स्वीकार किया गया कि अभियुक्ता ने राजस्व निर्धारण व शमन शुल्क जमा कर दिया है। उक्त के अतिरिक्त अभियुक्ता पर लगाया गया आरोप धारा 152 विद्युत अधिनियम में दिये गये प्राविधान के तहत शमनीय अपराध है। अतः अभियुक्ता ने इस अपराध में सम्बन्धित प्राधिकारी विद्युत विभाग से अपराध का शमन कर लिया है तथा धारा 152(1) भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत शमन शुल्क जमा कर

(अनुराग कुरील)

अपर सत्र न्यायाधीश,  
कक्ष संख्या-01, चित्रकूट।  
ID No.-UP 1521

दिया है। विद्युत विभाग द्वारा भी राजस्व निर्धारण व शमन शुल्क जमा कर दिये जाने सम्बन्धी तथ्य पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं किया गया है, बल्कि अभियुक्ता के द्वारा इस प्रकरण से सम्बन्धित शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण की धनराशि जमा कर दिये जाने के आधार पर अभियुक्ता व विद्युत विभाग के मध्य प्रकरण में सुलह-समझौता भी हो चुका है। समझौता पत्र कागज संख्या 10क/3 पत्रावली पर उपलब्ध है।

अतः प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य सन्धि-पत्र कागज संख्या 10क/3 में वर्णित तथ्यों एवं अभियुक्ता द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित शमन शुल्क व बकाया विद्युत बिल की धनराशि जमा कर दिये जाने के आधार पर अभियुक्ता यागित्री मौर्या लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 138(बी) विद्युत अधिनियम से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

### आदेश

अभियुक्ता **पुष्पा देवी** पत्नी छेदीलाल, निवासी तरौंहा रोड़ कर्वी, थाना कोतवाली कर्वी, जनपद चित्रकूट को मुकदमा अपराध संख्या 281/2015, धारा 138(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम के आरोप से उपभयपक्ष के मध्य निष्पादित सन्धि पत्र व अभियुक्त द्वारा शमन शुल्क तथा राजस्व निर्धारण की धनराशि जमा कर दिये जाने के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है। सन्धि-पत्र कागज संख्या 10क/3 आदेश का भाग होगा।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक-30.03.2026

**(अनुराग कुरील)**

अपर सत्र न्यायाधीश,  
कक्ष संख्या-01, चित्रकूट।

ID No.-UP 1521